

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/2019/ 12-44

जयपुर, दिनांक: 11/1/2020

समस्त राजपत्रित अधिकारी,
महिला अधिकारिता
मुख्यालय/जिला।

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण का स्वयं के एसओ-आईडी से लॉग-ईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- कार्मिक (क-1ग्रो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/ग्रो/2011/दिनांक 31.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है। कि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अंचल सम्पति का विवरण कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समस्त राजपत्रित अधिकारी अपना अंचल सम्पति का विवरण 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से स्वयं के एसएसओ-आईडी से लॉगईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन लाईन कराना सुनिश्चित करें। अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी व पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अचल सम्पति की घोषणा राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक: एफ.1(1)()/मअ/स्था/2019/ 45

जयपुर, दिनांक: 11/1/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.